राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999 /4107 | डाक पंजीयन-मप्र।भोपाल।371 /24-2026

वर्ष-26, अंक-1,(इकतीस सालों से लगातार प्रकाशित) | भोपाल,मंगलवार 07 जनवरी 2025 | पेज-8,मूल्य दो रुपए मात्र

मोहन की मुरली ने दिखाया जादू

ट्रांसपोर्ट माफिया की चंदे की पेशकश को मुख्यमंत्री सचिवालय ने दो टूक लौटाया

भोपाल,07 जनवरी (जासूस रिपोर्टर)मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली जनता को चौंका रही है। जिस तरह पिछले बीस सालों से मध्यप्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान की जी हुजूरी वाली सरकार देखने के आदी हो चले थे उन्हें अब नई सरकार का कामकाज चौंका रहा है।

राजनीति के गलियारों के सूत्र बताते हैं कि सौरभ शर्मा पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काट रहा था। उसे परिवहन विभाग के अफसरों ने बताया था कि सरकार परिवहन चौकियों को बंद करने जा रही है। तबसे सौरभ ने मुख्यमंत्री को एकमुश्त चुनावी चंदा पहुंचाने का प्रस्ताव भेजा था। उसके कुछ परिचितों ने उसे मुख्यमंत्री कार्यालय के जिम्मेदार अफसरों से भी मिलवाया था। उन अफसरों को साफ निर्देश थे कि परिवहन माफिया की कोई भी पेशकश पर गौर न किया जाए। परिवहन नाकों पर जनता की लूट खसोट रोकने के लिए भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व की मंशा भ्रष्टाचार रोकने की है इसलिए चौकियां हटाई जाएं।

इससे बरसों से परिवहन चौकियों को कमाई का अड्डा बनाने वाले नेता, और माफिया के गुर्गों ने मिलकर काफी चंदा जुटाकर मुख्यमंत्री के निजी फंड में चंदा देने की तैयारी की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियो ने जानकारी मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस को छापामार कार्रवाई को कह दिया। सौरभ शर्मा और इसके आकाओं को अंदेशा था कि मुख्यमंत्री चंदा लेने का प्रस्ताव नामंजूर कर सकते हैं. इसके बावजूद उन्होंने सोना,चांदी और नकदी गाड़ी में भरकर रवाना कर दी। जब लोकायुक्त पुलिस छापा मार रही थी तब भी सौरभ शर्मा के गुर्गे मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों को कह रहे थे कि लोकायुक्त ने छापा भले ही मार दिया है पर आप आदेश करें तो ये गाड़ी सीधे मुख्यमंत्री के बंगले पर पहुंच जाएगी।

सूत्र बताते हैं कि लोकायुक्त का जो व्यक्ति इस छापे सं संबंधित प्रक्रिया का संवाद सूत्र था उसने डीजी जयदीप प्रसाद तक वही जानकारियां पहुंचने दीं जिससे नियंत्रित धनराशि ही पकड़ी जा सके। इसी सूत्र ने गाड़ी को घर से रवाना करके सुनसान इलाके में खड़ी करने वाली योजना बनाई ताकि किसी को मालूम न पड़े और मुख्यमंत्री कार्यालय को चंदा पहुंचाकर परिवहन नाकों की पुरानी परंपरा जारी रखी जा सके।

बताते हैं कि सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन नाकों से चली आ रही पुरानी चोरी की परंपरा को बंद करने को बड़े उपाय के रूप में अपनाया है। परिवहन नाकों से चंदा वसूली की ये प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल से चलती आ रही है। इस प्रक्रिया में जुटाई गई धनराशि चंदे के रूप में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के फंड, अफसरों और नेताओं पत्रकारों तक भी पहुंचाई जाती थी।

परिवहन माफिया के चंदे पर पलने वाले पत्रकारों की जो सूची पिछले दिनों जारी हुई थी उसके बाद सरकार ने जब जांच कराई तो पता चला कि ये करतूत भी परिवहन माफिया की ही है। एक तरह से यह गिरोह सरकार को धमकाने का प्रयास कर रहा था कि अभी तो पत्रकारों की असलियत खोली गई है।यदि सरकार ने चंदा वसूली की परिपाटी नहीं रोकी तो सरकार के भी कुछ नेताओं की कलई खोली जा सकती है।

पूर्व परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह और गोविंद राजपूत दोनों इस सूची के उजागर हो जाने के बाद असहज हो गए थे। दोनों के बीच पिछले दिनों जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए उनके पीछे परिवहन नाकों के

(शेष भाग पेज छह पर पढ़िए)

सुशासन के सूर्योदय से सराबोर 2025 का मध्यप्रदेश

भोपाल,7 जनवरी(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर).नया साल मध्यप्रदेश के लिए सुशासन की नई किरणें लेकर आया है। मध्यप्रदेश को जिस तरह सरकारी माफिया के हाथों लुटने के लिए छोड़ दिया गया था उसे मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की राह पर ला खड़ा किया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपने सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभवों से राज्य के खजाने को भरने की जो मुहिम छेड़ी है उसे मुख्यमंत्री के सुशासन के नेरेटिव ने खूब संबल दिया है।

मध्यप्रदेश में सक्रिय सत्ता माफिया इस अचानक हुई कसावट को देखकर हैरान है। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि कोई मुख्यमंत्री परिवहन नाकों से होने वाली गाढ़ी कमाई छोड़कर राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए कैसे तनकर खड़ा हो सकता है। अब तक राज्य के मुखिया के पद पर आकर लोग खुद को दाता दिखाने के लिए परिवहन नाकों से अवैध वसूली को हरी झंडी देते रहे हैं। इस एकमुश्त चंदा वसूली को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की बपौती समझा जाता था। अब तक के मुख्यमंत्रियों और परिवहन मंत्रियों के साथ विभाग के अफसरों ने भी खूब मलाई छानी। विभाग का छोटे से छोटा सिपाही भी करोड़ों रुपए बटोरकर ले जाता रहा है. मात्र छह महीनों की पोस्टिंग में सिपाही की दुनिया बदल जाती रही है। परिवहन विभाग में नौकरी कर चुके अफसरों और नेताओं की हवेलियां और होटलें उनकी काली कमाई का खुला उद्घोष कर रहीं हैं. पहली बार राजधानी में सौरभ शर्मा नाम के सिपाही के घर के छापों से जो सोने चांदी की सिल्लियां और करोड़ों रुपयों के नोट बरामद हुए उससे तो परिवहन विभाग के भ्रष्टतम अफसरों के माथों पर भी बल पड़ गए। वे सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर सौरभ ने वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जिसे वे नही अपना पाए थे।उन्हें तो सौरभ बच्चा

नजर आता था लेकिन उसने तो परिवहन नाकों से कमाई का पूरा ढांचा ही बदलकर रख दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही प्रशासनिक सुधारों के तीव्र पक्षधर बनकर सामने आए हैं। करोड़ों की काली कमाई का प्रस्ताव पाकर आखिर कौन न बहक जाएगा। इस राशि से पार्टी के छुटपुट नेताओं,पत्रकारों को तो अपनी जी हुजूरी में लामबंद किया ही जाता था साथ में पीढ़ियों की शान भी बटोरी जाती थी। आज वही तंत्र केवल अपनी कमान बदल जाने पर उत्तरदायित्व से भरा नजर आने लगा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे ने इतना असर तो किया है कि नई पीढ़ी के नेता सोचने पर मजबूर हुए हैं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं को तो इस अजीब स्थिति में न बोलते बन रहा है न चुप रहा जा रहा है। वे ऊटपटांग आरोप लगाकर इस गोरख धंधे का ठीकरा सत्तारूढ़ भाजपा पर फोड़ना चाह रहे हैं लेकिन सख्त कार्रवाई ने परिवहन माफिया को एक्सपोज करके आरोपों की हवा निकाल दी है। काली कमाई का ये गिरोह कांग्रेस के ही नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा नजर आ रहा है। जिस तरह सौरभ शर्मा की मां इस छापेमारी में सामने आई। सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नोटशीटें उजागर हुईं इससे तो साफ पता चलता है कि चंदा वसूली का ये गिरोह कितना शातिर रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि सौरभ शर्मा के पिता की मौत किस तरह हुई और उसके बाद उसके घर को किन लोगों ने अपनी काली कमाई छुपाने का अड्डा बनाया । जिस तरह इस कांड के उजागर होने के बाद अफसरशाही में फेरबदल हुए उससे नौकरशाही में साफ संदेश गया है कि अब वो पहले वाला समय नहीं रहा है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह बिजली सड़क और पानी की मूलभूत जरूरतों को अपनी शैली बनाया वह लक्ष्य भारी कर्ज लेकर पूरा किया जा चुका है। आज तो सरकार के सामने चुनौती है कि वह आखिर किस तरह कर्ज से पिंड छुड़ाए और राज्य के संचालन के लिए आवश्यक धन राशि की व्यवस्था करे। कर्मचारी संगठन जैसे वेतन भत्तों का दबाव बना रहे हैं उसे देखकर प्रशासनिक सुधार और भी अनिवार्य दिख रहे हैं.सरकारी तंत्र को अपनी कमाई तो दिख रही है पर गरीब मध्यप्रदेश की तंगहाली नहीं दिखाई देती। उनके लिए ये सुधार चेतावनी भी साबित हो रहे हैं।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

भोपाल,मंगलवार 07 जनवरी 2025

बड़े बाबा के छोटे भक्त

बारह फरवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है इस महाकुंभ के शाही स्नान में छह करोड़ से अधिक लोग एक साथ गंगा,यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करेंगे। तेरह अखाड़ों से जुड़े करोड़ों सनातनी एक साथ महाकुंभ में पहुंचेंगे। महाकुंभ पहली बार नहीं होने जा रहा है। ये परंपरा सनातनकाल से चली आ रही है। ऐसे जागरण के दौर में दमोह जिले के कुंडलपुर तीर्थ में विराजमान बड़े बाबा के चंद ओछे भक्तों की जो थू थू हो रही है वह विचारणीय है । यहां जैन मुनि अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी को मंदिर कमेटी के कुछ सदस्यों ने निरहार गमन करने को मजबूर कर दिया। अंतर्मना संघ के भक्तगण यहां नए वर्ष के आगमन के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन करना चाह रहे थे। मंदिर कमेटी का कहना था कि तीर्थ क्षेत्र की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है इसलिए दूसरा कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बांसवाड़ा म्युजिकल ग्रुप के अक्षय पंड्या और दिशी जैन की भजन मंडली ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। मंदिर कमेटी के कुछ कुटिल सदस्यों ने कहना शुरु कर दिया कि लड़कियां नचाने के इस कार्यक्रम को मंजूर नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि ये धार्मिक आयोजन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के नाम पर हो रहा था इसलिए मंदिर कमेटी ने इस पर रोक लाई है। प्रसन्न सागर जी तो अगले दिन सुबह क्षेत्र से निराहार गमन कर गए पर इस घटना के कई सवाल खड़े कर दिये हैं। कुंडलपुर में इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों घटित हो रहीं हैं। यहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से विशाल मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। सैकड़ों कमरों की धर्मशालाएं बनी हैं। ये विशाल तीर्थ क्षेत्र पूरी दुनिया में जैन धर्म की कीर्ति पताका फहरा रहा है। मंदिर पूर्ण होने पर आचार्यश्री के मार्गदर्शन में किए गए विशाल पंच कल्याणक महोत्सव के तत्काल बाद आचार्यश्री ने भी तीर्थ क्षेत्र से गमन कर लिया था। निर्यापक बनाए गए सुधा सागर जी महाराज ने भी तीर्थ क्षेत्र से कुछ ऐसी ही मनःस्थिति में गमन किया था। जबकि वे तो आचार्य श्री के ही नियुक्त किए गए निर्यापक संत थे। आचार्य प्रसन्न सागर जी को गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी ने चार शिष्यों के साथ आचार्य की पदवी प्रदान की है। इनमें तेंदूखेड़ा से निकले समाधिनस्थ पुलक सागर जी, प्रमुख सागर जी और प्रणाम सागर जी भी शामिल हैं। आचार्य की पदवी प्रदान किए जाने वाले इस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि के रूप में अपने सलाहकार प्रोफेसर फिलिप जाधव को भी भेजा था। ये अमेरिकी सरकार की ओर से उनका सम्मान था। ऐसे विद्वान संत को कुंडलपुर कमेटी क्यों स्वीकार नहीं कर पाई इस पर पूरी दुनिया की जैन समाज के बीच गंभीर चिंतन मनन चल रहा है। निश्चित तौर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का करिश्मा अद्वितीय है। बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा बिना खंडित हुए किस चमत्कारिक तरीके से नए मंदिर में विराजमान हो गई ये अद्वितीय घटना थी। लाल पत्थरों से बना कुंडलपुर का जैन मंदिर अयोध्या के भगवान श्रीराम के मंदिर की तरह ही अद्भुत शिलालेख है। इस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने पहुंचे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की सेवा और सत्कार करके यहां की प्रबंधन कमेटी तीर्थ क्षेत्र की यशोगाथा पूरी दुनिया में फहरा सकती थी लेकिन कमेटी में जगह पाए कुछ ओछे लोगों ने इसे तीर्थ क्षेत्र की गरिमा का कलंक बना दिया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष चंद्रकुमार सराफ उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस घटना पर बाद में खेद भी व्यक्त किया है। दरअसल उनके निर्वाचन में कुछ षड़यंत्रकारी तत्वों ने ये कहकर मुहिम चलाई थी कि निवृत्तमान अध्यक्ष संतोष सिंघई ने मंदिर की कमान दमोह के बाहर के जैन धर्मावलंबियों के हाथों में दे दी है। वास्तव में मंदिर निर्माण में पूरी दुनिया में फैले जैन धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। तब आचार्य श्री ने सकारात्मक लोगों को महत्वपूर्ण जवाबदारियां दी थीं। कुछ लोगों को मंदिर निर्माण के कार्य से दूर रखा गया था। आज वही लोग मंदिर के ठेकेदार बन गए हैं और वे कुंडलपुर की चमक फीकी होने की वजह बन रहे हैं। आचार्यश्री ने ये मंदिर जैन धर्म की उपलब्धियों का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनवाया था। एक वैज्ञानिक सोच का शंखनाद जरूरी भी है। प्रयागराज में सनातन धर्म की विभिन्न विचारधाराओं का जैसा संगम होने जा रहा है उससे अनेकांतवाद पर आधारित जैन धर्म के मतावलंबियों को भी प्रेरणा लेनी होगी।

पंचायती नहीं व्यक्ति राज चाहते थे अंबेडकर

डॉ.माही पाल

आंबेडकर ने कहा, मेरा मानना है कि गांव भारत के लिए तबाही की तरह हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग क्षेत्रवाद और संप्रदायिकता का विरोध करते हैं वे गांव के बड़े पैरोकार बनते हैं। अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के सिवाय गांव और क्या है? मुझे खुशी है कि संविधान के ड्राफ्ट में गांव को खत्म कर व्यक्ति को इकाई माना गया

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर भारत के महान सपूतों में एक थे। वे सिर्फ सांसद, जाने-माने विद्वान और संविधान विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि भारत में दलित उत्थान के बड़े सुधारक भी थे (1)। वे अपनी पूरी जिंदगी ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे जो स्वाधीनता, समानता और सार्वभौमिक भाईचारे पर आधारित हो। इसके लिए ना सिर्फ समाज के दलित और शोषित वर्ग की आजादी और मुक्ति जरूरी है, बल्कि ऐसे संस्थानों की स्थापना भी जरूरी है जो लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ आम जन के नजदीक हो तथा सरकार में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। इसे हासिल करने के लिए विकेंद्रीकृत ग्रामीण गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण है ताकि समाज के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक आर्थिक विकास का उचित वातावरण तैयार किया जा सके (2)। इस नजरिए से यह देखना बड़ा ही रोचक है कि संविधान सभा में बहस के बाद किस तरह पंचायतें संविधान का हिस्सा बनीं, संविधान में पंचायतों को शामिल करने पर बाबा-साहेब के क्या विचार थे और आखिरकार किस तरह ये संस्थान संविधान का हिस्सा बने।

आंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। मैटकाफ को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा, "एक के बाद एक राजवंश खत्म हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी क्रांति आती है, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज सभी बारी बारी से मालिक बनते हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय वहीं रहते हैं। मुसीबत के समय वे एकजुट होकर अपना बचाव करते हैं। जब शत्रु की सेना गुजरती है तो यह ग्राम समुदाय अपने मवेशियों को बाड़े के भीतर रखते हैं और शत्रु सेना को गुजर जाने देते हैं।" (जाकर, 1964, पेज 35) मैटकाफ के उद्धरण के बाद आंबेडकर ने टिप्पणी की, "ग्राम समुदायों ने अपने देश के इतिहास में इस तरह की भूमिका निभाई है। यह जानकर किसी के मन में उनके प्रति गर्व का क्या भाव आता है? तमाम विपत्तियों में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। लेकिन जीवित रहने मात्र का कोई मोल नहीं है। सवाल है कि वह किस धरातल पर जीवित रहे। निश्चित रूप से वह एक निचले और खुदगर्ज धरातल पर थे। मेरा मानना है कि यह गांव भारत के लिए तबाही की तरह थे। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग क्षेत्रवाद और संप्रदायिकता का विरोध करते हैं वे गांव के बड़े पैरोकार बनते हैं। स्थानीय बोली, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के सिवाय गांव और क्या है? मुझे खुशी है कि संविधान के ड्राफ्ट में गांव को खत्म कर व्यक्ति को इकाई माना गया है। (वही, 1964, पेज 35)

दामोदर स्वरूप सेठ ने स्थानीय स्व सरकार की वकालत की। प्रोफेसर एस एल सक्सेना ने ग्राम स्वराज या ग्राम पंचायत के लिए महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया। एच वी कामत ने भी पंचायतों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर पंचायती राज नहीं तो डॉ आंबेडकर गांवों के विकास के लिए और क्या सुझाव देते हैं। के संथानम ने डॉ आंबेडकर के कुछ बातों पर तो सहमति जताई लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया की ग्राम पंचायत ही सभी राष्ट्रीय समस्याओं की जड़ हैं। आरके सिधवा ने कहा, यह संविधान इस देश में लोकतंत्र के लिए तैयार किया गया है और डॉ आंबेडकर ने स्थानीय निकायों और गांव की अनदेखी कर लोकतंत्र के विचार का ही विरोध किया है। स्थानीय निकाय देश की सामाजिक और आर्थिक जीवन का आधार हैं और अगर इस संविधान में स्थानीय निकायों के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह संविधान विचार के काबिल ही नहीं है। (वही, 1964, पेज 39)

डॉ मनमोहन दास ग्राम पंचायत से असहमत तो नहीं थे लेकिन उन्होंने चेताया कि जब तक हमारे गांव के लोगों को शिक्षित ना किया जाए, जब तक वे राजनीतिक रूप से जागरूक ना हों, जब तक वह अपने नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों से वाकिफ ना हों तब तक ग्राम पंचायत की व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद के बजाय नुकसानदायक साबित होगी। (वही, 1964, पेज 40)

प्रो एनजी रंगा ने कहा, हम प्रशासन का केंद्रीकरण चाहते हैं अथवा विकेंद्रीकरण? महात्मा गांधी ने 30 वर्षों तक विकेंद्रीकरण की वकालत की। हम कांग्रेसी होने के तौर पर भी विकेंद्रीकरण को समर्पित हैं। सच तो यह है कि आज पूरी दुनिया विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। (वही, 1964, पेज 41)

तमाम सदस्यों के विचारों से यह तो स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य संविधान में पंचायत को शामिल करने के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने डॉ आंबेडकर के विचारों के प्रति असहमति जताई।

के. संथानम ने 22 नवंबर 1948 को यह प्रस्ताव रखा कि अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए जोड़ा जाए। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वह अधिकार देंगे जो स्वशासन इकाई के तौर पर कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे। डॉ आंबेडकर ने तत्काल यह कहकर संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया कि मुझे और कुछ नहीं जोड़ना है। इस तरह प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और अनुच्छेद 31ए अंततः राज्य नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिस्से के रूप में अनुच्छेद 40 बना। (वही, 1964, पेज 43)

यह जानना रोचक है कि डॉ आंबेडकर ने 1948 में संविधान सभा की बहस में पंचायतों में कमजोर वर्ग के लिए जगह की वकालत क्यों नहीं की, जबकि 16 साल पहले 6 अक्टूबर 1932 को जब बांबे असेंबली में ग्राम पंचायत विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने वंचित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की खातिर अधिकारों के हस्तांतरण की नीति का समर्थन किया था। तब डॉ आंबेडकर ने कहा था, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकार सौंपने की नीति में सिद्धांत रूप से मेरी कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि इस प्रेसिडेंसी के स्थानीय बोर्ड पर स्थानीय बोर्ड अधिनियम के तहत बताए गए कार्यों के कारण अधिक काम का बोझ होता है और वह अपने काम को प्रभावी तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तब मैं कहना चाहूंगा कि स्थानीय बोर्ड के बोझ को कम करने के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। (मून, 1982, पेज 106)

जहां तक वंचित वर्ग के लिए स्थान की बात है तो डॉ आंबेडकर ने टिप्पणी की, "बिल में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत को सभी वयस्क पुरुष और स्त्रियां मिलकर चुनें। लेकिन मैं यहां वंचित वर्गों की तरफ से बोलते हुए यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि वयस्क मताधिकार हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। माननीय मंत्री महोदय यह बात भूल रहे हैं कि हर गांव में वंचित वर्ग अल्प संख्या में हैं। उनकी स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में यह मान लेना ठीक नहीं कि वह वयस्क मताधिकार को सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेरा मानना है कि सिर्फ वयस्क मताधिकार से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं हो जाएंगे।

इसलिए मैं यह कहने को बाध्य हूं कि यदि पंचायत गठित की जाती हैं तो उनमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी भी सूरत में वंचित वर्गों के लिए विशेष स्थान होना चाहिए। मैं तब तक भारत में स्वशासन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक प्रत्येक स्वशासन संस्थान में वंचित वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान ना किया जाए।

शुरुआत में डॉ आंबेडकर ने संविधान में पंचायतों को शामिल करने का विरोध किया लेकिन जब संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने पंचायतों के पक्ष में तर्क दिया और संथानम ने पंचायतों को राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा तो डॉ आंबेडकर पंचायतों को संविधान में शामिल करने पर राजी हो गए। उनके सहमत होने की एक वजह शायद यह रही होगी कि उन्होंने यह सोचा होगा कि पंचायतें राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेंगी, इसलिए यह संस्थान मजबूत नहीं होंगे और अनुच्छेद 40 के प्रावधान संविधान तक ही सीमित रहेंगे। 1932 के बाद पंचायतों के कामकाज के अनुभव से डॉ आंबेडकर को एहसास हुआ होगा कि अगर पंचायतों को राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बनाया जाए तो राजनीतिक नेता और अफसर उन्हें मजबूत नहीं होने देंगे क्योंकि वह खुद नहीं चाहेंगे कि पंचायतें मजबूत हों।

आजादी के बाद पंचायतों के कामकाज से यह स्पष्ट है कि उन्होंने ग्रामीणों के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। (जाकर, 1964, पेज 45)

हालांकि इस लेखक का मानना है कि डॉ आंबेडकर को संविधान के भाग 9 में पंचायतों को रखने के पक्ष में बहस करनी चाहिए थी। उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को इन संस्थानों में पर्याप्त स्थान देने के प्रावधान के लिए संविधान सभा को सुझाव देना चाहिए था। अगर ऐसा उसी समय किया जाता, जैसा संविधान लागू होने के 43 वर्षों बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो आज वंचित वर्ग की स्थिति बेहतर होती। संभव है कि डॉ आंबेडकर ने पंचायतों में समाज के समृद्ध वर्ग के अधिकारों और शक्तियों को तथा वंचित वर्ग की दुर्दशा को देखा हो, इसलिए वह पंचायतों के खिलाफ थे। डॉ आंबेडकर ने जो कहा था पंचायतों के कामकाज में आखिरकार वही दिख रहा है। अगर डॉ आंबेडकर की बातों को हमें गलत साबित करना है तो उसके लिए पंचायतों को भारतीय संघवाद का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। जिस तरह संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार अलग-अलग बताए गए हैं उसी तरह राज्यों और पंचायतों के अधिकारों का भी बंटवारा होना चाहिए। पंचायतों को राज्य की विधायिका की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

पुलिस को मिला फ्रीहैंड तो घट गए अपराध

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के आंकड़े आए है जिनके मुताबिक़ मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के कार्यकाल में अपराध घटे हैं। आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में डकैती 51%, लूट 23% कम, महिला अपराध 8 प्रतिशत कमी आई है। जनवरी से जुलाई तक का अपराधों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया है और इसमें सामने आया है कि 2023 के मुकाबले 2024 में कुल अपराध 3.53 फीसदी घटे है। 2023 में इस अवधि में प्रदेश में 1,89,178 अपराध घटित हुए थे वहीं इस वर्ष 1,82,714 अपराध घटित हुए जो पिछले साल से 6,464 कम हैं।

सबसे ज्यादा 51.56 फीसदी की कमी डकैती जैसे गंभीर अपराध में आई है। लूट 23.22%, नकबजनी 9.53%, सामान्य चोरी 6.51% और हत्या के मामले 7.15% घटे हैं। महिलाओं से संबंधित अपराध 7.91% घटे है और गैंगरेप के मामले 19.01% कम हुए है। छेड़छाड़ के अपराध 9.85% और क्रूरता व दहेज प्रताड़ना के अपराध 3.23% कम हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में 22.04 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्ष इस अवधि में 4033 अपराध कुल घटित हुए थे और 2024 में यह घटकर 3144 रह गए हैं। इसी प्रकार एससी-एसटी के हॉटस्पॉट में भी कमी आई है, 14% घटे पॉक्सो के अपराध कम हुए हैं। दुष्कर्म के मामलों में 10.22 फीसदी की कमी आई है।

भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा है कि अपराधों में कमी के आंकड़ें, 'झूठी' कांग्रेस के मुंह पर 'तमाचा' हैं!

जब कांग्रेस के जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे जिम्मेदार नेता, प्रदेश की जनता को भ्रमित और मध्यप्रदेश को बदमान करते हैं।

झूठ, फरेब और पाखंड की राजनैतिक रोटियां सेंकते हैं तब ऐसे आकंड़े कांग्रेस के इन भ्रष्टाचारी नेताओं की आखों से पट्टियां हटाते हैं।

प्रदेश में जनहितैषी, गरीब कल्याण का उद्देश्य लेकर चलने वाली 'मोहन' सरकार कानून का पालन करने और करवाने के लिए जितनी सख्त है, उतनी संवेदनशील भी। यही कारण है कि लगातार अपराध से जुड़े मामले कम होते जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश को बदनाम करने का असफल प्रयास करने वाली कांग्रेस देख लें, यह तो भाजपा की मोहन सरकार का सिर्फ एक ट्रेलर है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली भाजपा सरकार के विकास की कहानी तो अभी बाकी है।

गौर करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने नए पुलिस मुखिया के रूप में आईपीएस कैलाश मकवाना को तैनात किया है। पुलिस विभाग में इन्हें परिणाम लाने वाले और समझौता न करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि दिसंबर महीने में पदभार संभालने के बाद उन्होंने लंबित पड़े प्रकरणों को सुलझाने का अभियान चलाया। इससे एक ओर तो जहां अदालतों के कामकाज में तेजी आई है वहीं आम जनता को भी राहत मिली है। बरसों से लंबित पड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए उन्होने पुलिस महकमे को निर्देश दिए है। इससे पुलिस पर अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझने का दबाव घटा है।

बरसों से पुलिस विभाग में कर्मचारियों को फील्ड वर्क से अलग तैनात किया जाता रहा है। इससे पुलिस का अमला मैदान पर कम बैरकों और बंगलों में अधिक इकट्ठा हो जाता है। कैलाश मकवाना ने इस अमले को वापस मैदान पर भेजकर पुलिस बल की कमी पूर्ति करने का नायाब उदाहरण पेश किया। अदालतों में लंबित जो प्रकरण निपट गए उनका रिकार्ड उपलब्ध हो जाने से पुलिस का बोझ घटने लगा है। पुलिस रिकार्ड आनलाईन हो जाने की वजह से भी प्रकरणों की संख्या का ठीक अनुमान लगाना सरल हो गया है।

वर्ष- 2023 एवं 2024 (01 जनवरी से 31 जुलाई की अवधि) के आँकड़े वर्ष

वर्ष- 2023 एवं 2024 (01 जनवरी से 31 जुलाई की अवधि) के आँकड़े

क्र.	अपराध शीर्ष	वर्ष 2023	वर्ष 2024	प्रतिशत बदलाव 2023/2024
1	हत्या	1174	1090	-7.15%
2	हत्या का प्रयास	1104	968	-12.31%
3	डकैती	64	31	-51.56%
4	लूट	805	618	-23.22%
5	रेप	2583	2319	-10.22%
6	गैंग रेप	163	132	-19.01%
7	छेड़छाड़	2151	1939	-9.85%
8	दहेज प्रताड़ना	2875	2782	-3.23%
9	नकबजनी	6169	5581	-9.53%
10	चोरी	21828	20407	-6.51%
11	कुल पोक्सो	2766	2376	-14%
12	महिलाओं पर घटित कुल अपराध	12968	11941	-7.91%
13	अनु.जाति/अनु.जनजाति पर कुल अपराध	4033	3144	-22.04%
14	अन्य IPC(2024IPC+BNS)	132280	130819	-1.10%
Total		189178	182714	-3.53%

संगठित अपराधों की छानबीन करेगा पत्रकारों का नेटवर्क

इसे 'आर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' के सह-संस्थापक पॉल राडू ने लिखा है।

पिछले दो दशकों में मैंने अनगिनत बड़े आर्थिक अपराधियों की जांच की है। उनमें से अधिकांश लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी होने की क्षमता रखते थे। उनके पास पर्याप्त संसाधन और रचनात्मकता थी। उनमें तेजी से सोचने, नेटवर्क बनाने और नेतृत्व की क्षमता भी थे। उनमें जोखिम लेने की क्षमता भी थी। उन्होंने कानूनी दायरे में रहकर काम किया होता, तो व्यापारिक दुनिया के बादशाह हो सकते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने आर्थिक अपराध को चुना। अपने कौशल का दुरुपयोग करने के कारण ऐसे लोग इस दुनिया के लिए खतरनाक साबित हुए।

ऐसे आर्थिक अपराधी काफी बड़ा सोचते हैं। उनकी व्यावसायिक योजनाएँ काफी सरल होती हैं। जितने अधिक लोग उनका शिकार होंगे, उतना अधिक पैसा आएगा। ऐसे आर्थिक अपराधियों का काम काफी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। कई मामले अंतरराष्ट्रीय होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय कानूनों से बचाव के रास्ते भी आसानी से मिल जाते हैं।

बड़े आर्थिक अपराध की जांच के लिए इनके व्यवसाय की संरचना समझना जरूरी है। ऐसे लोग कैसी गल्तियां करते हैं, इसकी पहचान भी महत्वपूर्ण है।

प्रथम खंड: यह कैसे काम करता है

अपराध का वित्तीय ब्लूप्रिंट

हर देश के अलग कानून होते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्थिक अपराध मामलों में जांच एजेंसियों के सामने काफी जटिलता आती है। ऐसे मामलों में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को ज्यादा कारगर समझा जाता है। इनके पास सीमाओं के पार नेटवर्क बनाकर जनहित में काम करने के ज्यादा अवसर होते हैं। लेकिन आर्थिक अपराध के रूप में दुनिया पर सबसे शक्तिशाली खतरे से जूझने के इच्छुक मीडिया संस्थानों की संख्या बेहद सीमित हैं। ऐसे संस्थानों के पास आमतौर पर संसाधनों की भी कमी होती है।

आर्थिक अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोजी पत्रकारों ने आपसी सहयोग का नेटवर्क बनाकर जांच की है। इसके कारण उन्हें आर्थिक अपराध का पैटर्न समझने का अवसर मिला है। आर्थिक अपराध के मामलों में हर जगह कई सामान्य पैटर्न देखने को मिलता है। इसके कारण इसे पहचानना और उजागर करना आसान हो जाता है। जो आपराधिक योजना किसी एक देश में काम करती है, उसी मॉडल को अन्य देशों में भी अपनाया जाता है। इसलिए इनके आपराधिक तरीकों को समझना जरूरी है, ताकि इनका भंडाफोड़ किया जा सके।

अवैध गतिविधियों की प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए हमारे पास आर्थिक अपराधियों के बारे में पूरी समझ जरूरी है। आइए, सबसे पहले अपराधियों द्वारा अवैध ढंग से पैसे जुटाने, उसे छिपाने और निवेश करने के लिए मुख्य उपकरणों को समझ लें। इसके बाद द्वितीय खंड में हम इनकी जाँच और भंडाफोड़ के उपकरणों पर बात करेंगे।

आपराधिक सेवा उद्योग: दुनिया भर में ऐसे लोगों का बड़ा नेटवर्क है, जो विभिन्न सेवाएं देकर आर्थिक अपराधियों की मदद करते हैं। इसे 'आपराधिक सेवा उद्योग' कह सकते हैं। अपराधी चाहे बिलकुल नए हों, या फिर लंबे समय से कार्यरत, सबके लिए ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इस 'आपराधिक सेवा उद्योग' का विभिन्न देशों तथा दुनिया भर में बुनियादी ढांचा है। इसमें विभिन्न किस्म के बिचैलिए, बैंकर, वकील, एकाउंटेंट्स, कंपनी निर्माण एजेंट, हैकर, प्रचार प्रबंधक इत्यादि शामिल हैं। ये लोग अपराधियों को अपराध करने तथा उनके अवैध धन का निवेश करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें अपराध के मामलों में धन संबंधी पहलुओं को समझना होगा।

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) पत्रकारों के लिए यह बहुत अच्छा रिसोर्स है। संगठित अपराधों और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की यह रिपोर्टिंग परियोजना है। इसमें 'आपराधिक सेवा उद्योग' के काम के तरीकों की जानकारी मिलती है। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप ऐसे संगठित अपराधों और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की काफी उपयोगी जानकारियां पा सकते हैं।

आफशोर कंपनियां

आफशोर वित्तीय उद्योग का बड़ा खेल है। ऐसी गुप्त कंपनियों के माध्यम से अपराधियों को भारी मात्रा में धन खपाने और स्थानांतरण करने की सुविधा मिलती है। ऐसी आफशोर कंपनियां अवैध धन को वैध धन में बदलने में मदद करती हैं। ऐसी कंपनियों को प्रायः अपने मूल कार्यस्थल से दूर किसी अन्य देश में पंजीकृत कराया जाता है। Offshore Crime, Inc., Panama Papers जैसी परियोजनाओं ने इस अवैध धन-शोधन उद्योग को सुर्खियों में ला दिया।

ओसीसीआरपी की OpenLux परियोजना ने खुलासा किया कि 'लक्जमबर्ग' जैसे कई देशों में भी ऑफशोर कंपनियों को गोपनीय तरीके से अवैध काम का भरपूर अवसर मिल रहा है। एक पत्रकार के बतौर क्या आप ऐसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच करना चाहते हैं? अगर हां, तो यह समझना जरूरी है कि ऐसे अपराधी अपने व्यवसाय की संरचना कैसे करते हैं। इस दौरान उनसे होने वाली त्रुटियों की पहचान करना भी जरूरी है।

प्रॉक्सी लोग

संगठित अपराध को छिपाने के लिए किसी अन्य पहचान की जरूरत पड़ती है। इसके लिए प्रॉक्सी लोगों या कंपनियों का उपयोग किया जाता है। ऑफशोर कंपनियां इनके माध्यम से लेनदेन करके असल अपराधियों की पहचान छुपा लेती हैं। ओसीसीआरपी में अपने खोजी कार्य के दौरान हमने तीन प्रकार के प्रॉक्सी की पहचान की है- पूर्णतः अंजान, अर्द्ध-जागरूक और जटिल प्रॉक्सी।

1. पूर्णतः अनजान प्रॉक्सी: यह ऐसे लोग हैं, जिनकी पहचान चोरी की गई है। कई बार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बड़े पैमाने पर सूचनाओं की चोरी कर ली जाती है। ऐसे लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उनके नाम का उपयोग करके कोई कंपनी बनाई गई है, या कोई बैंक खाता खोला गया है।

2. अर्द्ध-जागरूक प्रॉक्सी: ये ऐसे साधारण लोग होते हैं, जो मामूली पैसों के बदले में कोई कंपनी बनाने या बैंक खाता खोलने के लिए अपने दस्तावेज दे देते हैं। इनमें कुछ लोग कोई पैसा लिए बिना ही महज भरोसे में आकर अपनी पहचान का उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं। इन्हें यह पता नहीं होता कि उनके नाम पर किस तरह का और कितने बड़े स्तर का अपराध हो रहा है।

3. सचेत प्रॉक्सी: ये ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें आपराधिक योजना की पूरी जानकारी होती है। ऐसे लोग सचेत रूप से अपने नाम के गलत उपयोग की इजाजत देते हैं। इसके बदले उन्हें मुनाफे का एक हिस्सा मिलता है।

एक खोजी रिपोर्टर को यह जानना जरूरी है कि आपराधिक योजना में किस प्रकार के प्रॉक्सी शामिल हैं। इसी आधार पर आप यह निर्धारित पाएंगे कि जांच के लिए कौन-से कदम उठाने की जरूरत है।

बैंक की मिलीभगत

वित्तीय क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी जैसे नवीन उत्पादों के बावजूद दुनिया की वित्तीय प्रणालियों में अब भी बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान कायम है। संगठित अपराध समूहों के लिए बैंक स्वाभाविक निशाना हैं। ऐसे गिरोह विभिन्न तरीकों से बैंकिंग क्षेत्र का लाभ उठाते हैं। प्रॉक्सी लोगों की ही तरह कुछ बैंक की भी प्रॉक्सी भूमिका होती है। कुछ बैंक ऐसे अपराधों की पूरी जानकारी के बावजूद उसमें शामिल होकर मदद करते हैं। कुछ बैंक ऐसी किसी आपराधिक साजिश से अनजान होते हैं। कुछ बैंकों के पास उनके खातों के माध्यम से अवैध धन का प्रवाह रोकने की तैयारी नहीं हैं।

बैंकिंग प्रणाली विभिन्न छोटे, मध्यम, बड़े बैंकों और उनकी सहायक कंपनियों से बनी है। छोटे बैंक अगर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में शामिल होना चाहें तो उन्हें बड़े बैंकों में इससे संबंधित बैंक खाते खोलने पड़ते हैं। इनके जरिए किसी राशि का विश्वव्यापी वायर ट्रांसफर संभव हो पाता है। हमने कई ऐसे छोटे और मझोले बैंकों की जांच की है, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अपराधियों के स्वामित्व और संचालन में थे। लेकिन ऐसे बैंक भी अपनी बड़ी काली रकम को अन्यत्र भेजने के लिए बड़े बैंकों का ही सहारा लेते हैं।

ऐसे स्मार्ट अपराधियों को मालूम है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तरह बैंकों की भी कई तरह की सीमाएं हैं। इन्हें अक्सर अधिकार क्षेत्र की बाधाओं के कारण ऐसे आर्थिक अपराध रोकना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में बैंकों के बीच सहयोग की भी कमी है। संदिग्ध लेनदेन के व्यक्तिगत या कई हिस्सों में तोड़कर किए गए लेनदेन की शिनाख्त के लिए वित्तीय अनुपालन प्रणाली में समुचित व्यवस्था नहीं है।FinCENFiles ने खुलाया किया है कि उच्च मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान करने में बैंक किस तरह विफल होते हैं। अपराधियों ने बड़ी मात्रा में धन को कई बैंकों और अनगिनत बैंक खातों में विभाजित कर दिया। इसके कारण किसी एक बैंक को ऐसे बड़े पैमाने पर धन-शोधन कार्यों की जानकारी नहीं मिल पाती है।

फर्जी अनुबंध और चालान

'मनी लॉन्ड्रिंग' में कई तरह के जाली दस्तावेजों का उपयोग होता है। फर्जी अनुबंध और नकली चालान का उपयोग करके बैंकिंग लेनदेन किया जाता है। एक ऑफशोर कंपनी फर्जी बिल बनाकर दूसरी ऑफशोर कंपनी के नाम पर किसी सामान की फर्जी बिक्री दिखाती है। लेकिन वास्तव में कोई व्यापार नहीं होता है। सिर्फ इस बैंक से उस बैंक के खाते में पैसे भेजे जाते हैं।

इस अवैध प्रथा को व्यापार-आधारित 'मनी लॉन्ड्रिंग' कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसा वित्तीय अपराध बड़े पैमाने पर हो रहा है। बैंक अधिकारियों के लिए ऐसे वित्तीय लेनदेन से जुड़ी सामग्री की जांच करना असंभव है। इसी तरह, अन्य किस्म के फर्जीवाड़े में नकली कागजी कार्रवाई करके फर्जी ऋणों और सेवाओं के एवज में बैंकिंग लेनदेन किया जाता है।

इस तरह, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक समूहों और भ्रष्ट राजनेताओं के लिए इन चार चीजों को पूर्ण पैकेज पेश किया जाता है- 1. आफशोर कंपनियां, 2. प्रॉक्सी लोग, 3. बैंक की मिलीभगत, 4. फर्जी अनुबंध और चालान।

यहां तक कि 'आपराधिक सेवा उद्योग' द्वारा अपनी 'धोखाधड़ी नियमावली' भी जारी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि बैंक अधिकारियों या कानूनी एजेंसियों को धोखे में रखकर किस तरह प्रॉक्सी लोगों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाएं, कैसे बैंक खाते खोलें, नकली चालान कैसे बनाएं और धन-शोधन कैसे करें। ओसीसीआरपी ने लातविया में एक बैंक के ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग मैनुअल को उजागर किया। इसमें ग्राहकों को यह सलाह दी गई थी:

"अनुबंध या चालान में डिलीवरी की शर्तें यथार्थवादी होनी चाहिए। जब आप किसी सामान का नाम लिखें, तो यह सोचना होगा कि उसे कैसे भेज रहे हैं। कार्गो का वजन, मात्रा, कारखाने का पता, परिवहन का प्रकार, सड़क, रेल या जहाज इत्यादि स्पष्ट होना चाहिए। अगर माल की मात्रा अधिक हो या बड़े आकार वाला माल हो, तो कृपया रेलमार्ग या बंदरगाह के नजदीक के कारखाने का नाम दें।"

ओसीसीआरपी में ऐसे 'टर्नकी' मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को हम 'लॉन्ड्रोमैट्स' कहते हैं। इसके तहत एक ही एजेंसी सारे काम कर देती है। किसी एक बैंक या अन्य वित्तीय सेवा कंपनी द्वारा ग्राहकों को अपराध से आए धन का प्रबंधन करने, संपत्ति के स्वामित्व को छिपाने, टैक्स बचाने, मुद्रा प्रतिबंधों से बचने और दूसरे शहरों या दूसरे देशों में पैसे भेजने जैसी मदद की जाती है। ओसीसीआरपी ने 2014 में अपनी जांच 'रूसी लॉन्ड्रोमैट' "The Russian Laundromat" के साथ इस शब्द को गढ़ा था।

'लॉन्ड्रोमैट' की तुलना 'टीओआर नेटवर्क ब्राउजर' से कर सकते हैं। 'टीओआर' में उपयोगकर्ता को इंटरनेट में पूर्ण गोपनीयता मिलती है। 'लॉन्ड्रोमैट' भी अवैध धन को अलग-अलग बैंकों के बीच विभाजित करके भेजने की सुविधा देता है। इसके कारण गोपनीयता बरकरार रहती है। किसी भी बैंकिंग या कानूनी संस्थान को पूरी तस्वीर की जानकारी नहीं मिल पाती है, कि क्या हो रहा है।

'लॉन्ड्रोमैट' दुनिया भर में असंख्य कंपनियों के रूप में बिखरे होते हैं। यह स्वतंत्र दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में इन्हें एक ही पार्टी नियंत्रित करती है। आमतौर पर कोई बैंक ही वह एक पार्टी है।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब कोई क्लाइंट इस नेटवर्क में पैसे भेजता है। इसके लिए नकली कागजी कार्रवाई का उपयोग करके कोई वस्तु या सेवा की खरीद या बिक्री दिखाई जाती है। इसके बाद वहां से उन पैसों को किसी अन्य कंपनी के खाते में भेज दिया जाता है। फिर वह धन किसी आफशोर कंपनी या अन्य गंतव्य को भेज दिया जाता है। इसमें लॉन्ड्रोमैट के ऑपरेटरों के लिए तयशुदा कमीशन घटा लिया जाता है। ऐसे फर्जी लेनदेन के बीच धन के स्वामित्व का मामला ऐसे भ्रमजाल में उलझ जाता है, जिसे कानूनी एजेंसियां भी नहीं पकड़ पातीं। यह सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी अधिक जानने के लिए ओसीसीआरपी का 'लॉन्ड्रोमैट एफएक्यू' देखें।

दुनिया के बड़े बैंकों की जांच से भी लॉन्ड्रोमैट बच जाते हैं। इसका एक उदाहरण 'ड्यूश बैंक' के एक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। 'ड्यूश बैंक' का यह आंतरिक दस्तावेज लीक हो गया था। इसमें बताया गया है कि 'रूसी लॉन्ड्रोमैट' ने उस बैंक के वैश्विक वित्तीय ढांचे को झकझोर किया। इसके बावजूद सही समय पर बैंक उस फर्जीवाड़े को समझने में नाकाम रहा।

संगठित अपराधी किस तरह दुनिया की वित्तीय प्रणालियों में फर्जीवाड़ा करते हैं, इसके अनगनित उदाहरण हैं। यहां तीन अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से तीन उदाहरण दिए गए हैं। इन तीनों में कुछ सामान्य पैटर्न देखने को मिलते हैं। उपरोक्त 'रूसी लॉन्ड्रोमैट' साजिश में जो पैटर्न था, वह कमोबेश इन तीनों उदाहरणों में भी दिखता है।

अजरबैजानी लॉन्ड्रोमैट: इन लॉन्ड्रोमैट ने बाकू और अजरबैजान के अमीर लोगों को यूरोपीय राजनेताओं को रिश्वत देने और देश से अरबों रूपये भेजने में मदद की थी। ओसीसीआरपी ने अपनी जांच में पाया कि इसी 'मनी लॉन्ड्रिंग' गिरोह का इस्तेमाल ईरान द्वारा अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए भी किया गया था। इसमें एक ईरानी-तुर्की अपराधी रेजा जराब के गिरोह ने मदद की थी। वह तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन का करीबी अपराधी था। रेजा जराब द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग में ऊपर वर्णित सभी क्लासिक तत्व शामिल थे। यह मामला तुर्की, अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक विवाद में बदल गया। यह दर्शाता है कि अशांति के समय में संगठित अपराध कैसे पनपता है और राजनीतिक विभाजन का फायदा उठा सकता है।

ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट: इसमें एक जटिल वित्तीय प्रणाली शामिल थी। इसके तहत रूसी कुलीन वर्गों और राजनेताओं को गुप्त रूप से भारी निवेश करने, टैक्स बचाने, सरकारी कंपनियों में शेयर हासिल करने, रूस और विदेशों में अचल संपत्ति खरीदने जैसे कई फर्जी कारनामे हुए। ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट ने अवैध लेनदेन के करने वाले ऐसे लोगों की पहचान छिपाने में मदद की। ओसीसीआरपी ने अपने सहयोगी संगठनों की मदद से सावधानीपूर्वक ऐसे डेटा का विश्लेषण किया। इस जांच में 2,38,000 कंपनियों द्वारा लगभग 1.3 मिलियन लीक लेनदेन के मामले सामने आए। इसे सबसे बड़ी बैंकिंग रिलीज समझा जाता है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें।

भारी मात्रा में बैंकिंग लेनदेन के डेटा की व्यापक जांच के कारण 'ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट' का पर्दाफाश हुआ था। हमने 'ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट' के रूप में परिभाषित किए गए इस लेन-देन के खास पैटर्न की भी तलाश की। हमने इसमें त्रुटियों और खराब लिंक्स की तलाश करते हुए इस घोटाले के आयोजकों और सिस्टम के उपयोगकर्ताओं का पता लगाया।

हमने काफी सावधानीपूर्वक सारे डेटा का विश्लेषण किया। अंततः हमें पता चला कि बैंकों ने एक छोटी, लेकिन घातक गलती की थी। उन्होंने दर्जनों अन्य आफशोर कंपनियों के एजेंटों को भुगतान करने के लिए लगातार केवल तीन मुखौटा कंपनियों का बार-बार उपयोग होने दिया। इसमें अरबों डॉलर के लेन-देन शामिल थे। देखने में ऐसे भुगतान महज कुछ सौ डॉलर

शेष भाग पेज पांच पर

सीएम हेल्पलाईन की सुनवाई हो तो रुक जाएं अपराधः अभिजीत कुमार रंजन

भोपाल,07 जनवरी(प्रेस इँफार्मेशन सेंटर)। मध्य प्रदेश के कटनी में मादक पदार्थो के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन चलाने वाले 2014 के आईपीएस अधिकारी अभिजीत कुमार रंजन की कहानी पुलिस विभाग में बहुत सराही जा रही है. SP के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने मादक पदार्थो के खिलाफ अभियान चलाया. इतना ही नहीं, डकैती और हत्या जैसे अपराधों के खिलाफ भी उन्होंने कई सफल अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की.

अभिजीत कुमार रंजन की स्कूली पढ़ाई दार्जिलिंग के सेंट पॉल स्कूल से हुई. बाद में उन्होंने आरएमआर स्कूल पटना से हायर सेकंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से विज्ञान संकाय से स्नातक की डिग्री हासिल की. स्नातक के बाद अभिजीत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री प्राप्त की.

जिले में पदभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थो के खिलाफ अभियान छेड़कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन समेत करीब सवा 2 क्विंटल गांजा जब्त करने में सफलता पाई. साथ ही शहर में आरोपियों को एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर डकैती और हत्या का खुलासा किया.

बता दें कि अभिजीत कुमार रंजन 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी है. कटनी में वे 19वें पुलिस अधीक्षक के रूप में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं. हालांकि आईपीएस अधिकारी बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग ग्वालियर में रही. फिर रीवा, उज्जैन, सिंगरौली में उन्होंने कार्यभार संभाला.

सरकारी विभाग में वर्क कल्चर को लेकर आईपीएस अधिकारी अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि वर्क में सुधार सदैव बनाये रखना चाहिए. आम जन की सुविधाओं पर काम होना चाहिए. यदि कम्युनिकेशन गैप है तो उसे खत्म करके कार्य में स्पीड, कम्युनिकेशन और डिलीवरी के साथ कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमेशा यह भी देखना चाहिए कि जनता खुश है या नहीं.

अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि किसी भी कार्य पर परेशानी आने पर सबसे पहले कार्य का स्वरूप और उसका विश्लेषण होना चाहिए. जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संवाद बनाने में हो रही परेशानी आसानी से दूर होती है. किसी भी चीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है, जिससे समस्या का समाधान भी दीर्घकालिक होता है.

पुलिस अधीक्षक रंजन के मुताबिक, छुटियों में उन्हें किताबें पढ़ना, न्यूज देखना, खास कर किसी भी विषय पर डिबेट्स हो रहे है वो काफी पसंद है. उनकी दिलचस्पी लिटरेचर में भी काफी है. वो अक्सर सोशल और क्राइम से रिलेटेड विषयों को समय निकालकर पढ़ते हैं. इसके अलावा बैडमिंटन खेलना काफी पसंद करते थे.

साल 2018 में उज्जैन में हुए दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प को सुलझाने में अभिजीत कुमार रंजन का काफी योगदान रहा था. दरअसल, गणेश उत्सव के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प होकर दंगे शुरू हो गए थे. हालांकि, अभिजीत कुमार द्वारा दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बैठाकर शांति बहाली की गई थी.

जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर अभिजीत कुमार ने अपना काफी योगदान दिया है. उन्होंने क्राइम कंट्रोल और अपराधों की पड़ताल करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही सामाजिक दुर्भावनाओं को दूर करना, लड़कियों, महिलाओं की समाजिक भूमिका को गति और न्याय दिलाना जैसे प्रमुख मुद्दों पर काम किया. इसके अलावा उनका हमेशा प्रयास रहता है कि सीएम हेल्पलाइन में सही समय में समस्या का निराकरण हो, क्योंकि उनका मानना है कि यदि सीएम हेल्पलाइन का सही समय में निराकरण हो जाए तो उससे जुड़ी घटनाएं रुक सकती है और यह रुकती भी है.

कटनी में आम जनता के बीच पुलिस का सूचना तंत्र कारगर बनाने में सफलता पाकर ही अभिजीत कुमार ने अपराधों की रोकथाम करने में सफलता पाई है। पुलिस बल वही है लेकिन परिणाम मूलक प्रशासन की पहल से जनता को उचित मार्गदर्शन और सुरक्षा मिल पा रही है। पुलिसिंग का ये माडल सराहनीय कहा जा रहा है।

अदालतों से भी मिलती है संगठित अपराधों की कड़ी

पेज चार का शेष भाग

में थे, लेकिन इनके आधार पर अरबों का बड़ा लेन-देन हो गया। इसलिए हमें पता चला कि वे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थे। इस कॉमन पैटर्न को पहचानने के बाद पूरा 'ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट' समझ में आ गया।

रिवेरा माया गैंग (आरएमजी): यह एक क्रूर और हिंसक सीमा-पार संगठन था। इस उदाहरण से पता चलता है कि संगठित अपराध कैसे विभिन्न व्यवसायों में बढ़ता है। इस मामले में अपराधियों ने यूरोप में स्किमर्स के रूप में छोटी शुरुआत की। ऐसे लोग, जो एटीएम में अवैध उपकरण या सॉफ्टवेयर लगाकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते हैं।

इन अपराधियों ने एक मैक्सिकन बैंक के साथ भागीदारी करके 'रिवेरा माया' में 100 से अधिक एटीएम लगा लिए। यह दक्षिणी मेक्सिको में कैनकन और टुलम के बीच का पर्यटन क्षेत्र है। इस गिरोह ने प्रति वर्ष 200 मिलियन डॉलर से भी अधिक का फर्जीवाड़ा किया। रिवेरा माया गैंग ने नकली दस्तावेजों, नकली पहचान और प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके अपना व्यवसाय खड़ा किया। साथ ही, उन्हीं दस्तावेजों का उपयोग करके मेक्सिको के भगोड़े अपराधियों को अमेरिका में छुपने का ठिकाना दिया।

संगठित अपराध के तहत कितना निवेश हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग किस पैमाने पर हुई, इसका पता लगाने के लिए खोजी पत्रकारों को संपत्ति के रिकॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

द्वितीय खंड : जांच कैसे करें ?

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि संगठित अपराध समूह काफी परिष्कृत हैं। इनके पास आर्थिक अपराध करने, छिपाने और अपने पैसे का निवेश करने के कारगर उपाय हैं। लेकिन वे एक चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और वह है- 'समय'। हर गुजरते दिन के साथ पत्रकारों तथा अन्य जांचकर्ताओं को काफी अनुभव मिल रहे हैं। ऐसे मामलों की अतंरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग हो रही है। दुनिया भर की सरकारें पारदर्शिता, कंपनी के स्वामित्व और संपत्ति के बारे में नए एवं कठोर नियम लागू कर रही हैं।

बैंक और कोर्ट रिकॉर्ड

संगठित आर्थिक अपराध की जांच में बैंक रिकॉर्ड सबसे जरूरी साधन हैं। लेकिन बैंक रिकॉर्ड गोपनीय और निजी दस्तावेज हैं। इन्हें प्राप्त करना मुश्किल है। बैंक रिकॉर्ड पाने के लिए रिपोर्टर हमेशा किसी 'लीक' या 'व्हिसलब्लोअर' का इंतजार नहीं कर सकते। बैंक रिकॉर्ड प्राप्त करने का एक और तरीका है। ऐसे दस्तावेज अक्सर संगठित अपराध के खिलाफ अदालती मामलों से जुड़े होते हैं। अमेरिका के पास वैश्विक बैंकिंग रिकॉर्ड का शानदार स्रोत है। इसके द्वारा Public Access to Court Electronic Records (PACER) के तहत काफी रिकॉर्ड्स सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

उदाहरण के लिए, ओसीसीआरपी ने PACER के माध्यम से हजारों बैंकिंग रिकॉर्ड प्राप्त किए। साथ ही, अमेरिका की विभिन्न अदालतों से सूचना का अधिकार के तहत आवेदन करके भी काफी बैंकिंग रिकॉर्ड प्राप्त किए। अजरबैजानी लॉन्ड्रोमैट रेजा जराब के खिलाफ कानूनी मामला खुलने के बाद ऐसी सूचना लेना संभव हुआ। हमने दुनिया के अन्य हिस्सों की अदालतों से भी इसी तरह के रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। अक्सर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे बैंकिंग रिकॉर्ड थोक में अदालत में पेश किए जाते हैं। खोजी पत्रकारों के लिए यह एक वरदान है।

वित्तीय संस्थानों से लीक हुई 'संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट' (एसएआर) से भी आर्थिक अपराधों के बैंकिंग दस्तावेज मिल सकते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है FinCENFiles जांच में प्राप्त हुए ऐसे दस्तावेज। ऐसे लीक दस्तावेजों से आपकी जांच की गुणवत्ता बढ़ेगी। पत्रकार अगर अदालती रिकॉर्ड के साथ इसे जोड़कर जांच करें, तो वे जनता के लिए बेहद मूल्यवान सेवा कर सकते हैं।

दो आपराधिक पक्षों के बीच वाणिज्यिक मुकदमे के मामले में भी अदालत के रिकॉर्ड पत्रकारों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे मामलों में दोनों आपराधिक पक्ष सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की पोल खोलते हैं। इसके आधार पर पत्रकारों को गहन जांच का अवसर मिलता है।

संपत्तियों के दस्तावेज

अवैध कमाई करने वाले लोग विभिन्न चीजों का मालिक होना पसंद करते हैं। उन्हें लक्जरी कारें, महंगी घड़ियां इत्यादि पसंद हैं। ये लोग अक्सर अचल संपत्ति में अपनी काली कमाई का निवेश करते हैं। जैसे- लक्जरी मकान, विशाल कृषि भूमि, बड़े शॉपिंग मॉल में दुकानें इत्यादि। खोजी पत्रकार किसी संगठित अपराध की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के पैमाने और निवेश की जानकारी के लिए ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अधिकांश देशों में अचल संपत्ति के दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं। इसमें किसी अचल संपत्ति के वर्तमान मालिक, पिछले मालिकों के साथ ही उसके मूल्य इत्यादि की भी जानकारी मिल जाती है।

कंपनी रिकॉर्ड

कंपनियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज प्राप्त करना बेहतर उपयोगी है। इनमें कंपनियों के शेयरधारकों और बोर्ड के सदस्यों के साथ ही वित्तीय डेटा भी मिल जाते हैं। कई बार ऐसे रिकॉर्ड से बैंकिंग लेनदेन, संपत्ति के रिकॉर्ड, और यहां तक कि आफशोर कंपनियों के शेयरधारक और स्वामित्व की जानकारी मिल जाती है। अक्सर हमें कंपनियों या संपत्ति के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों से इन कंपनियों के अवैध धन के निवेश की जानकारी मिल जाती है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखें कि डेटाबेस में सभी जानकारी डिजीटल रूप में उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए इनके रजिस्ट्रेशन कार्यालय जाकर या फोन कॉल करके पर्याप्त डेटा पाने का प्रयास करें।

उच्चस्तरीय मनीलॉन्ड्रिंग उजागर करने में एक महत्वपूर्ण को ऐसे बैंकों के स्वामित्व का पता लगाना भी है। बैंकों को भी एक व्यावसायिक कंपनी की तरह समझें। यह पताएं कि बैंक का मालिक कौन है। नए, छोटे और मध्यम बैंकों के मामले में यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

आयात-निर्यात डेटाबेस

आयात-निर्यात पर नजर रखने के लिए हम ImportGenius या Panjiva जैसे डेटाबेस का उपयोग करते हैं। ये महंगे डेटाबेस हैं। इम्पोर्टजेनियस से किसी कंपनी के यूएस आयात का एक साल का डेटा डाउनलोड करने में 199 डॉलर का खर्च आता है। लेकिन व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और इससे जुड़ी कंपनियों की जांच में यह काफी उपयोगी है। हमने इन डेटाबेस का उपयोग करके लॉन्ड्रोमैट से जुड़ी कंपनियों के अन्य नकली वाणिज्यिक कार्यों की जांच के लिए किया। ध्यान दें कि कई देशों में वार्षिक आयात-निर्यात संबंधी लेनदेन के मामलों की जानकारी 'सूचना का अधिकार' के तहत उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट 'कॉमट्रेड' United Nations Comtrade site पर वैश्विक व्यापार का उपयोगी डेटा मिलता है। इससे आयात-निर्यात पैटर्न की पहचान की जा सकती है।

टोसीसीआरपी में हमने Aleph नामक खोजी रिपोर्टिंग के लिए शोध सामग्री का एक वैश्विक संग्रह बनाया है। इसमें हम कंपनियों, उनकी संपत्ति और बैंक खातों, अदालती मामलों, लीक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करते हैं। यह अभी एक शुरुआत है। इससे पत्रकारों को डेटा की समझ बनाने और आपराधिक पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है। यह सार्वजनिक हित में एक सार्थक जांच शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अलेफ में उपलब्ध 'पर्सन आफ इंट्रेस्ट' की निगरानी सूची भी पत्रकारों के लिए उपयोगी है। हमारा सिस्टम अन्य डेटा के साथ सूचियों में नामों का लगातार मिलान करता है। यह हमारे वर्कफ्लो को स्वचालित करता है। इससे ताजा और उपयोगी खोजी रिपोर्टिंग में भी मदद मिलती है।

फोटो कैप्शन: ओसीसीआरपी एलेफ स्क्रीनशॉट/ ओसीसीआरपी ने एलेफ विकसित किया है। यह एक उपयोगी संसाधन है। यह खोजी पत्रकारों को सार्वजनिक रिकॉर्ड और लीक की खोज में मदद करता है।

भविष्य क्या है?

कुछ दशकों पहले तक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधियों की पहचान काफी मुश्किल थी। ये लोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खोजी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से कई कदम आगे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पत्रकारों ने अपने देशों की सीमा पार अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अभियान शुरू किए हैं। इसके कारण चीजें धीरे-धीरे बदलने लगी हैं। हालांकि अपराधियों को अब भी विशाल संसाधनों का लाभ मिलता है। वे नई तकनीक को तत्काल अपनाते हैं। इसके कारण ऐसे अपराधी कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एक कदम आगे रहते हैं।

एक और समूह पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे निवेशक, जो अन्य अपराधियों को वित्तपोषित करते हैं। ऐसे निवेश से उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसी जीवनशैली के आदी लोगों के लिए अपराध अधिक अवसर लाता है। खोजी पत्रकारों को अपराध के इर्द-गिर्द बने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। ऐसे ही परिवेश में 'आपराधिक सेवा उद्योग' फलता-फूलता है। मनी लॉन्ड्रिंग और गुप्त निवेश की नई तकनीकों का विकास भी यहीं होता है।

खोजी पत्रकारों को संगठित अपराध की नई तकनीक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन, नन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) और अन्य नए उपकरणों को समझना जरूरी है। इसके लिए समय और धन का निवेश करना होगा। इन चीजों का 'आपराधिक सेवा उद्योग' के व्यवसाय मॉडल में उपयोग होता है।

'फॉलो द मनी' के बदले जल्द ही 'फॉलो द कोड' (एल्गोरिदम के रूप में) बन जाएगा। लेकिन अंततः यह पूरी अवैध कमाई किसी 'संपत्ति' और 'विलासितापूर्ण जीवनशैली' के रूप में दिखाई देती है। अपराध अपने साथ यही लाता है।

ये बात भी सही है कि हल्का फुल्का भ्रष्टाचार आमतौर पर आर्थिक छानबीन में नहीं नजर आ पाता है लेकिन जब सामाजिक स्तर पर ऐसे छुटभैया अपराधियों पर नजर रखी जाती है तो उनकी कारगुजारियां उजागर हो ही जाती हैं। ये काम पत्रकारों की नजर से नहीं छुप पाता है क्योंकि वे आम जनता के करीब होते हैं.

नरसिंहपुर में फरारी काट रहा दिल्ली का हत्यारा गिरफ्तार

नरसिंहपुर इन दिनों अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है।

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 साल के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान है. दरअसल, यह शख्स पिछले 3 साल से दिल्ली पुलिस ही नहीं हरियाणा पुलिस को भी चकमा दे रहा था. हरियाणा के बहादुरगढ़ झज्जर का रहने वाला अंकित उर्फ सुखा उर्फ काला उर्फ औधा नाम का यह अपराधी अब दिल्ली पुलिस के चंगुल में आ गया है. लेकिन, इस शख्स की अपराध की कहानी सनुकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अपराध की दुनिया में कदम रखने से लेकर जेल जाने और फिर जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आने की कहानी काफी दिलचस्प है. बीए द्वितीय वर्ष तक पड़ा यह अपराधी बड़ा शातिर औऱ दिमाग वाला निकला.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस अपराधी की सालों से तलाश थी. हरियाणा के सदर बहादुरगढ़ थाना में इस शातिर अपराधी पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. खास बात यह है कि इस शातिर अपराधी ने आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी से बचने के लिए गलत तरीके से अपने आपको बंधक बनाने के संबंध में सदर बहादुरगढ़ थाना में एक फर्जी मामला दर्ज करवा लिया था. लेकिन, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस शातिर अपराधी को बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर लिया.

अंकित, उर्फ सुखा उर्फ काला उर्फ औधा नाम के इस अपराधी पर दिल्ली के महेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में तकरीबन 6 साल पहले मामला दर्ज हुआ था. इस अपराधी ने तीन लोगों के साथ मिलकर राजेश गुप्ता नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके अपराध को देखते हुए बीते तीन साल से छापेमारी कर रही थी, लेकिन हर बार यह शातिर अपराधी बच जाता था. बाद में इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मुखबिरों से सूचना मिली कि यह अपराधी मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है. दील्ली पुलिस की टीम तुरंत उस स्थान पर पहुंची और मोबाइल लॉकेशन और मुखबिरों के माध्यम से उस पर नज़र रखना शुरू किया. दिल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर को अंकित उर्फ सुखा उर्फ काला उर्फ औधा को हनुमान मंदिर, खैरी महलपुरा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के पास से गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि पूछताछ में काला ने स्वीकार किया है उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजेश गुप्ता से पैसे लूटने की साजिश रची थी. 16 जुलाई 2018 को पैसे लूटने के बाद राजेश गुप्ता को गोली मार दी. यह घटना गुप्ता के जहांगीर पुरी के इलाके में अपनी फैक्ट्री के बाहर हुई थी. बाद में राजेश गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका. बाद में कोर्ट ने अंकित को भगोड़ा घोषित कर दिया था. साल 2020 में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया. लेकिन, एक साल बाद ही इलाज के बहाने अंतरिम जमानत पर बाहर आया तो फिर जेल गया ही नहीं.

अंतरिम जमानत मिलने के बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खुद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से गलत तरीके से कैद करके लापता दिखाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस स्टेशन सदर बहादुरगढ़, हरियाणा में एफआईआर दर्ज कराने की योजना बनाई. अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर आरोपी अंकित उर्फ सुखा उर्फ काला उर्फ औधा ने सरेंडर नहीं किया और तब से वह फरार चल रहा था. जब कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया तो माननीय न्यायालय के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई गई कि वह वर्ष 2021 से गलत तरीके से गुप्त रूप से बंधक बनाकर लापता है और इस संबंध में थाना सदर बहादुरगढ़, हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस के निगरानी तंत्र ने दिल्ली में हुए इस अपराध की निगरानी जारी रखी थी. यही वजह है कि घटना के लगभग छह साल बाद आरोपी की गिरप्तारी संभव हो सकी है.वह लगभग तीन सालों से नरसिंहपुर में हीरह रहा था। यहां रहकर उसका गुजारा किस तरह हो रहा था इस मुद्दे पर वह खामोश है। जैसा कि अपराध की विवेचना से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि नरसिंह पुर में शराब माफिया और सत्ता माफिया दोनों की मिलीभगत कई अपराधी अपनी फरारी काट रहे हैं। ये यहां एक स्थानीय नेता के शूटर के तौर पर भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। पुलिस घटना के इस पहलू की भी जांच कर रही है. चिंता की बात तो ये है कि अपराधियों को पनाह देने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं है।

सुशासन के सूर्योदय से सराबोर.......

(पेज एक का शेष भाग पढ़िए)

काले धंधे की कहानियां भी शामिल थीं। जानकारों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केपी सिंह कक्काजू का अनुमान था कि पत्रकारों की सूची सामने आ जाने से मुख्यंमंत्री मोहन यादव डरेंगे और परिवहन नाकों पर अपनी नीति बदलने की प्रक्रिया रोक देंगे.

सरकार ने जबसे परिवहन नाकों की प्रक्रिया को रोककर जांच की परिपाटी शुरु की है तबसे माफिया का प्रयास है कि किसी तरह सरकार के इस तंत्र को बदनाम किया जाए ताकि अभी भी परिवहन विभाग अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने स्टाफ को साफ कह दिया है कि सरकार को जो भी कीमत चुकानी पड़े नाकों से टैक्स चोरी की परंपरा दुबारा चालू नहीं की जाएगी।

परिवहन माफिया ने सरकार को चंदा देने के लिए बड़ी रकम को सोने और चांदी में बदलवाया था। ये सारी प्रक्रिया पूर्ववर्ती नेताओं के अनुभवों के आधार पर पूरी की गई थी। इसके बावजूद सरकार ने ट्रांसपोर्ट से होने वाली आय माफिया और दलालों के हाथों में पहुंचने से रोकने की इच्छा शक्ति को नहीं डिगने दिया। इस प्रलोभन के जाल में न फंसकर सरकार ने एक तरह से अपना दामन साफ रखने में कामयाबी पाई है। यदि मुख्यमंत्री सचिवालय इस चंदे को स्वीकार कर लेता और सोचता कि ये राशि मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से बंटवाकर वाहवाही बटोरी जाएगी तो वो परिवहन माफिया की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता।

युवा आईएएस और मुख्यमंत्री के कामकाज को संभालने वाले भरत यादव वैसे भी सख्त प्रशासक माने जाते रहे हैं। उन्होंने परिवहन माफिया के संदेशों और दलालों के प्रस्तावों की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पनप सके। दलालों के गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब तक चली आ रहीं पुरानी परिपाटियों को बदला जाए। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर विकास कार्यों में गति लाई जाए और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। इसी का नतीजा है कि परिवहन माफिया के बड़े घोटाले पर अंकुश लगाया जा सका है।

हालांकि राजनीति के कई बड़े खिलाड़ी अब कह रहे हैं कि चंदे की रकम रोककर मुख्यमंत्री एक नए जाल में फंसने जा रहे हैं। इस तरह राजनीति करके वे घनघोर अलोकप्रियता को आमंत्रित कर रहे हैं। ये माफिया बहुत ताकतवर है और सरकार को कई मोर्चों पर बदनाम कर देगा। इसके बावजूद सरकार ने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने तो पत्रकारों के वेश में आने वाले दलालों को जन सुनवाई से बाहर रखने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि मोहन सरकार पहली बार सत्ता के दलालों पर रोक लगाती नजर आ रही है. नए साल में सरकार की ये पहल सराहनीय कही जा रही है।

साध्वियों की तपश्चर्या और भी कठिन

सनातन धर्म में नागा साधुओं की परंपरा बहुत प्राचीन है। उनकी जीवनशैली और रीति-रिवाज बिल्कुल अलग हैं। उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। नागा साधु दिगंबर रहते हैं, यह तो सभी जानते हैं।

दिगंबर रहकर नागा साधु यह संदेश देते हैं कि उन्होंने भौतिक संसार और उसकी सभी इच्छाओं और बंधनों का त्याग कर दिया है। यह उनके त्याग का एक बड़ा प्रतीक है। यह उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। यह दर्शाता है कि मानव अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा है और कपड़ों जैसे सांसारिक तत्वों की आवश्यकता नहीं है।

आजकल महिला नागा साधुओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूरे शरीर पर राख लगाए एक महिला नागा साधु का वीडियो हाल ही में चर्चा में था। क्या महिला नागा साधु भी दिगंबर रहती हैं? अगर हाँ, तो पीरियड्स के दौरान वे क्या करती हैं? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे।

पीरियड्स के दौरान नागा साधु क्या करती हैं?: महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। उन्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महिला नागा साधुओं का लोगों के सामने आना दुर्लभ है। अब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए महिला नागा साधुओं के अधिक संख्या में दिखाई देने की संभावना है। महिला नागा साधु, पुरुष नागा साधुओं से अलग होती हैं। वे दिगंबर नहीं रहतीं। वे सभी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करती हैं। लेकिन वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता। इसलिए उन्हें पीरियड्स के दौरान कोई समस्या नहीं होती।

सुबह से शाम तक शिव की पूजा करने वाली महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं की तरह सार्वजनिक जगहों पर दिगंबर रहने की अनुमति नहीं होती। दीक्षा लेकर नागा साधु बनते समय महिलाओं को वस्त्र धारण करना होता है। महिला नागा साधु अपने माथे पर तिलक लगाती हैं। उन्हें केवल एक केसरिया रंग का वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। महिला नागा साधु बिना सिले हुए वस्त्र धारण करती हैं। इसे 'गंटी' कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।

महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की तरह कठिन दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दीक्षा के समय उन्हें सांसारिक जीवन के सभी बंधनों और रिश्तों का त्याग करना होता है। अपना पिंडदान करके, सिर मुंडवाकर वे नए जीवन में प्रवेश करती हैं। सांसारिक वस्त्र, आभूषण भी उन्हें त्यागने पड़ते हैं।

उन्हें अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यास, तपस्या और ध्यान के लिए समर्पित करना होता है। जंगल, पहाड़, गुफाओं में रहकर तपस्या करनी होती है। वे भोजन, नींद और अन्य आवश्यकताओं के मामले में न्यूनतम और सरल जीवन जीते हैं। कुंभ मेले और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में नागा साध्वियाँ भाग लेती हैं। वे अपने ध्वज के साथ जुलूसों में शामिल होती हैं।सबसे बड़ी बात तो ये कि साधना के इस पथ पर कोई आरक्षण नहीं है। साधना से अर्जित शक्तियों का दर्शन करने के बाद ही साध्वियों को किसी दल की कमान सौंपी जाती है। इसके बावजूद उनकी परीक्षा जारी रहती है।जिसे चुनौती देना भी संभव होता है।

रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान न हो तो शून्य होगा नतीजा

भोपाल (जासूस रिपोर्टर)13 अगस्त 2024 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज इलाके में रहने वाले जयप्रकाश के गायब होने की खबर ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जयप्रकाश, जो गोवा में नौकरी करता था, अपने परिवार के साथ एक साधारण और खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। लेकिन इस रात उसकी कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। 14 अगस्त की सुबह, मुजफ्फरपुर की गलियों में एक बोरी में बंद सूटकेस मिला, जिसमें जयप्रकाश की लाश थी। यह हत्या एक प्रेम संबंध का भयानक परिणाम थी, जिसमें धोखे, विश्वासघात और बदले की भावनाओं ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया।

जयप्रकाश और ललिता: प्यार की शुरुआत

जयप्रकाश एक मेहनती और होशियार लड़का था, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर गोवा में एक अच्छी नौकरी हासिल की थी। वह अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था और अपने माता-पिता का लाड़ला था। जयप्रकाश की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात ललिता नाम की लड़की से हुई, जो रिश्ते में उसकी ममेरी बहन की ननद थी। ललिता, जो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, और जयप्रकाश की मुलाकात अक्सर होती रहती थी। धीरे-धीरे यह मुलाकातें प्यार में बदल गई।

2021 में, जब दोनों के बीच संबंध गहरे हो गए, उन्होंने एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। जयप्रकाश ललिता से बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ललिता का करियर और बीपीएससी की तैयारी उसकी प्राथमिकता थी। इसके बावजूद, जयप्रकाश ने ललिता पर अपनी भावनाओं को थोपना शुरू कर दिया, जो उनके रिश्ते में दरार डालने लगा।

झगड़े और वीडियो का दुरुपयोग

ललिता और जयप्रकाश के बीच प्यार तो

था, लेकिन उनके बीच कई बार झगड़े भी होते थे। ललिता को जयप्रकाश के शक करने की आदत से परेशानी होने लगी थी। एक दिन, जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया, तो उसने देखा कि ललिता के कमरे में एक और लड़का मौजूद था। इस घटना ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया। जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन ललिता ने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

इस घटना के बाद, दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जयप्रकाश ने अपने मोबाइल में ललिता के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली थीं, जिन्हें वह ललिता को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। ललिता ने जयप्रकाश से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन जयप्रकाश उससे शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। जब ललिता ने जयप्रकाश से बात करना बंद कर दिया, तो जयप्रकाश ने उसके परिवार और रिश्तेदारों को वह आपत्तिजनक वीडियो भेजने की धमकी दी। इसने ललिता को बेहद परेशान कर दिया, और उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई।

हत्या की साजिश और अंजाम

13 अगस्त 2024 को, ललिता ने जयप्रकाश को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। ललिता ने जयप्रकाश को यह विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी के लिए तैयार है और उसे अपने घर बुलाया। जयप्रकाश, जो पहले से ही ललिता के परिवार से डरता था, ने सोचा कि अब सबकुछ ठीक हो जाएगा। वह गोवा से मुजफ्फरपुर आया और ललिता से मिलने गया।

जब वह ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे में पहुंचा, तो ललिता और उसके परिवार ने उस पर हमला कर दिया। रविंद्र कुमार ने चाकू से जयप्रकाश का गला रेत दिया और उसकी आंतें बाहर निकाल दीं। यह हमला इतना बर्बर था कि जयप्रकाश की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद, उन्होंने जयप्रकाश के शव को एक सूटकेस में भरकर उसे एक बोरी में रखा और साइकिल पर लादकर सहजानंद कॉलोनी में फेंक दिया।

पुलिस की जांच और गिरफ्तारी

जब पुलिस को सहजानंद कॉलोनी में सूटकेस मिला, तो उन्होंने तुरंत इलाके में पूछताछ शुरू की। पुलिस को जयप्रकाश के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही मिल चुकी थी, और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह लाश जयप्रकाश की ही है। पुलिस ने जयप्रकाश के कॉल डिटेल्स की जांच की और पाया कि वह लगातार ललिता के संपर्क में था। इसके बाद, पुलिस ने ललिता और उसके ममेरे भाई रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान, रविंद्र ने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि ललिता ने जयप्रकाश से बदला लेने की योजना बनाई थी, क्योंकि जयप्रकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ललिता के परिवार ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया। पुलिस ने ललिता के बाकी परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस हत्या की साजिश में हिस्सा लिया था।

निष्कर्ष: जयप्रकाश और ललिता की प्रेम कहानी एक दुखद अंत का प्रतीक है। यह घटना दिखाती है कि कैसे प्यार, जब धोखे और बदले की भावना में बदल जाता है, तो वह खतरनाक रूप ले सकता है। जयप्रकाश ने अपने प्यार के चलते अपनी जिंदगी खो दी, जबकि ललिता और उसके परिवार ने एक निर्दोष जीवन को समाप्त कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे किसी भी गलत कदम का परिणाम खतरनाक हो सकता है।

मनरेगा फंड से 18 करोड़ गड़पने वाली- आएएस जमानत मिलने पर ही छूटी

भोपाल, जासूस रिपोर्टर. आईएएस पूजा सिंघल जमानत पाकर अब खुद को बेकसूर साबित करने का प्रयास कर रहीं हैं। इन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में UPSC क्रैक करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर परचम लहराया था। इसके बाद उनकी योग्यता की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। तभी उनकी नौकरी को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों ने उनके व्यवहार पर शंका व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध मनरेगा फंड से करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का आरोप लगाया था।

शिकायत कर्ताओं का कहना था कि उन्होंने वर्ष 2009 से 2010 तक खूंटी की डिप्टी कमिश्नर रहते वक्त मनरेगा फंड्स में 18 करोड़ गबन किया है और करोड़ों रुपए मनी लांड्रिंग से भी एकलित किए हैं। जवाब में पूजा सिंघल ने कहा कि वे तो अपने परिधानों और जेवरों पर धनराशि खर्च करती हैं। इसे देखकर कुछ लोगों ने चिढ़कर ये शिकायत की है। लेकिन जांच में प्रथम दृष्टया जो तथ्य मिले उन्हें देखकर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई और अदालत ने शिकायत के संबंध में दस्तावेज भी बुलाए। पूजा सिंघल के वकील का कहना था कि उनकी मुवक्किल ने तो केवल अपने मकान की मरम्मत कराई है। कुछ कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों पर खर्चा किया है। लेकिन इसी चक्कर में उन्हें 28 महीने जेल में गुजारने पड़े। अब वे बेल पर बाहर आई हैं ,

शिकायत कर्ताओं ने उनकी जमानत याचिका मंजूर न किए जाने की मांग करते हुए जो तथ्य प्रस्तुत किए थे उन्हें अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी संभ्रांत नागरिक भी है।वे कहीं भाग नहीं सकतीं। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई तथ्य होंगे तो वे जांच के दौरान सामने आ जाएंगे।

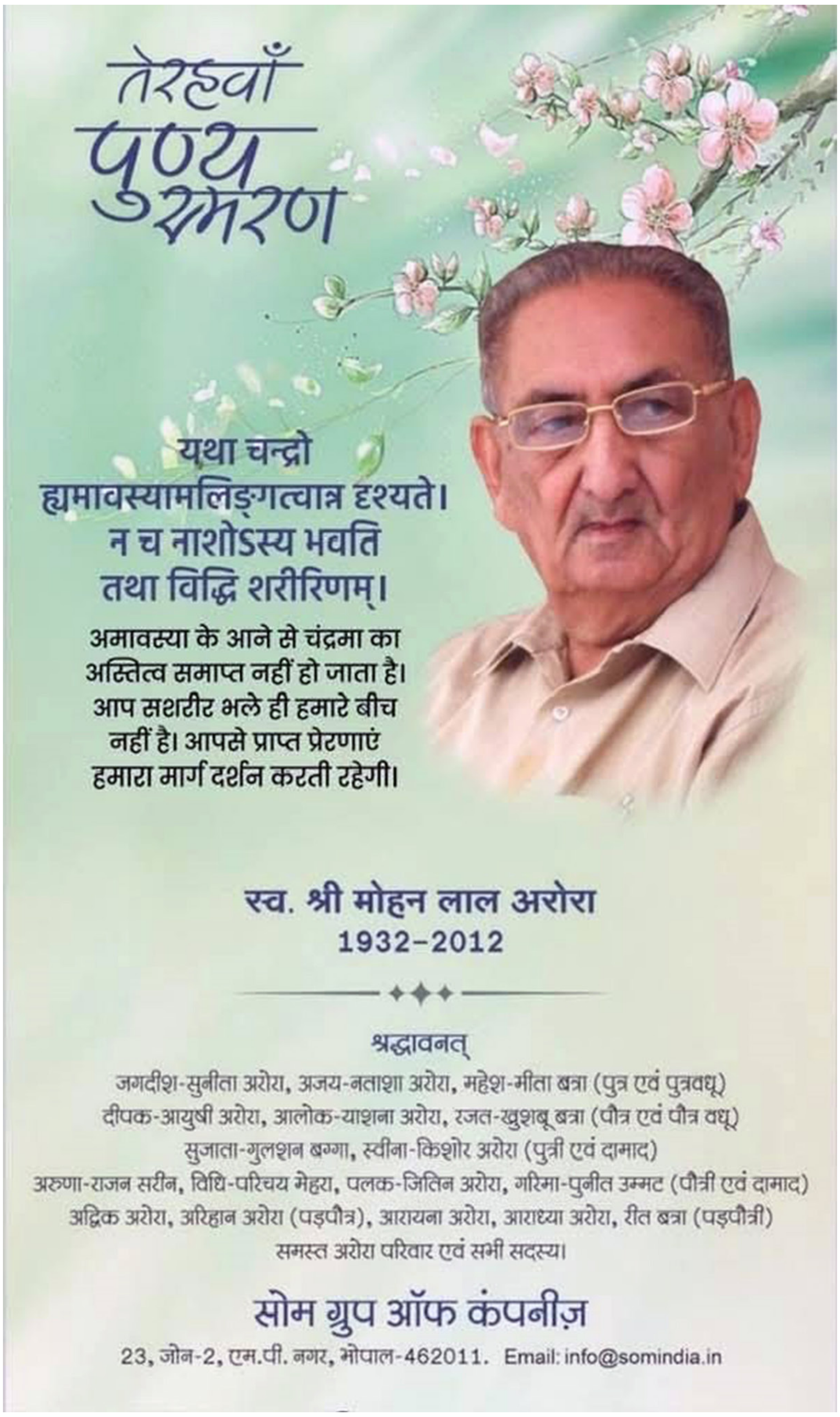

सागर की तोप के घर आयकर का छापा

सागर, 06 जनवरी,(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)सागर में आयकर विभाग ने भाजपा के पूर्व विधायक और तोप छाप बीड़ी के के कारोबारी हरवंश सिंह राठौर के आवास पर छापा मारा है।यह कार्रवाई रविवार 5 जनवरी सुबह भोपाल से आए आयकर विभाग की टीम ने की। इसके अलावा दो अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने सदर क्षेत्र में स्थित राठौर बंगले पर दबिश दी है।

राठौर बंगले पर छापे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए । टीम ने गेट बंद कर बंगले में सर्वे की कार्रवाई की। इसके अलावा आयकर विभाग की सर्वे टीम ने भीतर बाजार निवासी भाजपा के पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी व राकेश छाबड़ा के घर भी सर्वे की कार्रवाई की है।

गौरतलब है कि हरवंश सिंह राठौर बंडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे हैं। इसके अलावा वे एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। हरवंश सिंह के पिता हरनाम सिंह राठौर उमा भारती के बहुत करीबी थे।

वे जेल मंत्री रहे हैं। वर्तमान में हरवंश सिंह राठौर सागर जिलाध्यक्ष के पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के संबंध में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।

हरवंश सिंह राठौरः भाजपा के भामाशाह पिता की विरासत थामी पर नेतृत्व की चुनौतियों का निशाना बने

हरवंश और कुलदीप राठौर एमपी भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्व. हरनाम सिंह राठौर के बेटे हैं। इस परिवार का बुंदेलखंड में काफी दबदबा माना जाता है। स्व. हरनाम सिंह उमा भारती कैंप के माने जाते थे। बता दें एक समय ऐसा था जब जिले का भाजपा संगठन उनके बंगले से संचालित होता रहा है। पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हरवंश सिंह राठौर उनके बड़े बेटे हैं। वहीं कुलदीप राठौर बड़े शराब कारोबारी हैं।

बताते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जंगलों से तेंदूपत्ता एकत्रीकरण से लेकर बीड़ी निर्माण,एक्सपोर्ट, शराब ठेकेदारी और जमीनों के कारोबार से इस परिवार ने अकूत दौलत बनाई है। हरनाम सिंह राठौर का ऐसा दबदबा था कि इलाके का कोई दस्यु गिरोह भी उनके क्षेत्र में लूटमार नहीं कर पाता था।

कांग्रेस के शासनकाल में जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन आकार ले रहा था तब हरनाम सिंह राठौर ने अपने कारोबार के बलबूते संगठन को जमीन पर खड़ा करने में मदद की थी। पूजा बब्बा जैसे आत्म-समर्पित दस्युओं के आशीर्वाद से उनका कारोबार बेरोकटोक चलता रहा। पिता सेठ दुलीचंद राठौर के मार्गदर्शन में राजनीतिक पारी खेलने वाले हरनाम सिंह राठौर ने राजनीति को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बीड़ी और शराब कारोबार में उन्होंने बाकायदा ठप्पे से अपनी पारी खेली और राजनीतिक मुकाम भी हासिल किया।

पिता के निधन के बाद हरवंश सिंह और उनके भाई विरासत पर दावा जताने के लिए भाजपा अध्यक्ष का पद भी चाह रहे हैं। अपना दावा मजबूत करने के लिए उन्होंने भारी प्रचार भी किया है। इस बीच आयकर विभाग को मिली जानकारियों के आधार पर जो सर्च की कार्रवाई की गई है।उस पर नगर में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखी जा रहीं हैं।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. aloksinghai67@gmail.com सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,